झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–258 वर्ष 2017

अबिर चक्रवर्ती .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा अपने सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, रांची

2. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, द्वारा अपने रजिस्ट्रार

3. कुलपति, वी0बी0यू0, हजारीबाग

4. परीक्षा नियंत्रक, वी0बी0यू0, हजारीबाग

5. प्रधानाध्यापक, इमामुल हय खान विधि महाविद्यालय, बोकारो .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री इंद्रजीत सिन्हा

उत्तरदाताओं के लिए :– डॉ0 अशोक कुमार सिंह

03 / 02.02.2017 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इसमें आगे पारित करने के लिए प्रस्तावित आदेश के मद्देनजर, बचे हुए दोषों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

2. याचिकाकर्त्ता, जो सत्र 2014–17 के लिए इमामुल हय खान विधि महाविद्यालय, बोकारो के एल0एल0बी0 3 साल के पाठ्यक्रम का छात्र है, को 2 पेपर–फैमिली लॉ–1 और बैंकरप्सी, में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है क्योंकि वे न्यूनतम

पास अंक हासिल करने में विफल रहे हैं। वे संबंधित पेपरों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए इस न्यायालय के पास आए हैं। याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 29 (2) के लिए परंतुक 2 पर भरोसा किया है।

3. उत्तरदाता के विश्वविद्यालय के विद्वान वकील का कहना है कि रांची विश्वविद्यालय संहिता के अध्याय–III के खण्ड 70 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, जो उत्तरदाता–विनोबा भावे विश्वविद्यालय पर भी लागू होता है। डब्ल्यू0पी0 (सी) सं0–5252/2014, नीतीश कुमार झा और अन्य बनाम् कुलपति, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं अन्य में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.08.2016 के निर्णय पर विश्वास किया गया है, जहाँ रांची विश्वविद्यालय संहिता के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्त्ता के इस तर्क पर कि कुछ सवालों के जवाब को बिना चिन्हित किए छोड़ दिया गया है, उत्तरदाता–विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि उस मामले में उत्तर पुस्तिका को फिर से जांचा/योग किया जा सकता है। यदि इस तरह की कवायद एल0एल0बी0 भाग–II, 2016 परीक्षा के याचिकाकर्त्ता की किसी भी मार्कशीट को सही करना शामिल है, तो इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।

4. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में पार्टियों द्वारा किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि रिट याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं है। उत्तरदाता–विश्वविद्यालय इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 4

सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार अभ्यावेदन के माध्यम से याचिकाकर्त्ता की शिकायत का समाधान करेगा।

5. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)